# फर्द अहकाम
## कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री विनोद गहलोत पिता श्री देवकृष्ण टेलर, निवासी 78, गणेश घाटी, उदयपुर
—अपीलार्थी

**बनाम**

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द — **प्रत्यर्थी**

**किस्म मुकदमा**— अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 45/2021**

| कमांक | कार्यवाहिक विवरण | हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई |
|---|---|---|
| | **दिनांक 01.11.2021**<br>पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।<br>लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा जरिये क्रमांकः प.1( ) सू0अ0, 05/2021/1015 —1016 दिनांक 11.10.2021 से प्राप्त रिपोर्टानुसार अपीलार्थी का आवेदन पत्र दिनांक 07.07.2021 सूचना के अधिकार अधिनियम,05 के तहत इस अनुभाग को 07.07.2021 को प्राप्त हुआ हैं। आरटीआई आवेदन के बिन्दु संख्या 01 से 05 तक की जो सूचना अपिलार्थी द्वारा चाही गई के संबंध में बिन्दु संख्या 01 से 05 तक की सूचना इस कार्यालय के प्रभारी अधिकारी स्थापना अनुभाग की होने से तथा प्रभारी अधिकारी स्थापना अनुभाग द्वारा दी गई सूचना प्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड पत्रांक 637 दिनांक 16. 07.2021 से उपलब्ध कराई जा चुकि हैं। प्रार्थी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना से संतुष्ट नही होने से पुनः प्रथम अपील पेश की। प्राप्त अपील के संबंध में प्रभारी अधिकारी स्थापना अनुभाग से अपील में वर्णित तथ्यों से संबंध में पुनः आरटीआई आवेदन का अवलोकन कर स्पष्ट व सटीक सूचना के साथ जवाब चाहा गया। इस क्रम में प्रभारी अधिकारी स्थापना अनुभाग से जरिये पत्रांक 795 दिनांक 06.10.2021 से बिन्दु संख्या 01 से 05 की अभिलेख पर उपलब्ध सूचना प्राप्त हुई वह प्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड प्रेषित की जा चुकि हैं।<br>लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द की रिपोर्टानुसार बिन्दु संख्या 01 से 05 की अभिलेख पर उपलब्ध सूचना प्रार्थी को उपलब्ध कराये जाने से उक्त अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती हैं। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द को भिजवायी जावे।<br>**पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।**<br>लोक सूचना अपीलीय अधिकारी<br>(जिला कलक्टर)राजसमन्द | |

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)